पंजीकृत/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन,
46 बी आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड देहरादून।

पत्र संख्या 639 /खनिज–अनु0/2023 दिनांक 11 मई, 2023

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल एप्लीकेशन संख्या 155/2023 अनिल पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.03.2023 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या–यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0–183–671/2023/1982 दिनांक 24.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल एप्लीकेशन संख्या 155/2023 अनिल पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.03.2023 के सम्बन्ध में है।

उक्त प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र संख्या–538/खनिज–अनु0/2023 दिनांक 10 अप्रैल, 2023 के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण पर नियमानुसार निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी देहरादून की ओर से उपजिलाधिकारी डोईवाला को नामित किया गया, जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी डोईवाला के द्वारा पत्र संख्या–281/एस0टी0/2023 दिनांक 02 मई, 2023 एवं क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई–115 नेहरू कॉलोनी देहरादून के पत्र संख्या–यूकेपीसीबी/आरओडी/एन0जी0टी0–46/2023–24/307–149 दिनांक 27.04.2023 के द्वारा जांच आख्या प्रेषित की गयी है, जिस साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या में उल्लेख किया गया है कि मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–155/2023 अनिल पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 13.03.2023 में पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत हैः–

This original application has been registered under Section 14&15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as NGT Act, 2010) on a letter petition dated 27-09-2022 received from Gram Pradhan, Gram Panchayat, Majrigrant, Development Block Doiwala, District Dehradun (State of Uttarakhand).

2- The grievance is that excessive quantity of illegal mining and minerals in taking place from river Jakhan and it is more than the prescribed limit at at Gram Sabha, Majrigrant, Development Block Doiwala, District Dehradun resulting in increase of depth of river causing damage to National Highway 72, the agricultural land and other activities going on in nearby area. In support of complaint, some photohraphs have also been annexed with original application.

3- In our view, the grievance raised in this petition can be looked into by the local authorities, in the first instance. Hence, We constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Dehradun who shall visit the site, collect relevant information and if finds any violation of environmental law and norms, would take appropriate remedial action in accrdance with law within two months.

4- The nodal agency for coordination and compliance will be District Magistrate, Dehradun.

5- An action taken report may be submitted with Registrar General of this Trinunal by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. if found necessary, Registrar General may place the matter before the Bench for further directions.

6- Subject to above directions, the application is disposed of.

7- A copy of this order along with along with copy the complaint be forwarded to State PCB and District Magistrate Dehradun by email for compliance.

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 155/2023 अनिल पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 13.03.2023 को पारित आदेश एवं कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या–395/खनिज–अनु0/2023 दिनांक 23 मार्च, 2023 के क्रम में राजस्व विभाग, खनन विभाग एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा प्रबन्ध निदेशक, गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून के पक्ष में तहसील डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत राजस्व खनन लॉट संख्या 13/2 जाखन नदी का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.03.2023 को याचीकर्ता श्री अनिल पाल की उपस्थिति में किया गया, आख्या निम्नवत है:–

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1392/VII-A-I/2021–107ख/2015 दिनांक 29 सिमम्बर, 2021 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून के पक्ष में तहसील डोईवाला के माजरीग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत जाखन नदी स्थित पुल से अपस्ट्रीम में राजस्व अभिलेखानुसार खसरा संख्या 2884, 2881, 2885, 1219, 1218, 1201, 995 व 954 मध्ये 9,428 है0 एवं पुल के डाउनस्ट्रीम में खसरा संख्या 2994, 3751, 3752, 4188 ख मध्ये 7.1516 है0 कुल रकबा 16.57 है0 क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 5,46,810 टन उपखनिज के खनन/चुगान हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 की समाप्ति की तिथि दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से 05 वर्ष की अवधि हेतु कपिय शर्तो के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है। प्रबन्धक निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून द्वारा ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत प्रस्तावित खनन क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति प्रर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से (Environment Clearance) के पत्र संख्या J-11015/138/2013-IA-II(M) दिनांक 03 अगस्त, 2015 द्वारा प्राप्त की गयी है तथा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–2663/मा0प्लान/उ0खनि0/देहरादून/2020–21 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रति वर्ष कुल 5,46,810 टन की उपखनिज की निकासी की अनुमति प्रदान की गयी है।

गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 74/1 राजपुर रोड देहरादून के कार्यादेश पत्रांक संख्या 392/खनन–ई–निविदा जाखन 13/2 (2021–22) दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 द्वारा तहसील डोईवाला क्षेत्रान्तर्गत राजस्व खनन लॉट संख्या 13/2 जाखन नदी पुल से अपस्ट्रीम में खसरा संख्या खसरा संख्या 2884, 2881, 2885, 1219, 1218, 1201, 995 व 954 मध्ये 9,428 है0 एवं पुल के डानस्ट्रीम में खसरा संख्या 2994, 3751, 3752, 4188 ख मध्ये 7.1516 है0 कुल रकबा 16.57 है0 क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष वार्षिक निविदित मात्रा 546810 टन पर ई–निविदा के माध्यम से सफल बोलीदाता/उच्च बोलीदाता श्री मारूति नंदन शाह हेडिग्ले स्टेट, अपर माल रोड तल्लीताल नैनीताल को आंवटित किया गया। उक्त खनन पटटे को ई–निविदा के माध्यम से सफल बोलीदाता/उच्च बोलीदात श्री मारूति नंदन शाह हेडिग्ले स्टेट, अपर माल रोड तल्लीताल नैनीताल को आवंटित किये जाने के उपरान्त राजस्व विभाग, खनन विभाग, वन विभाग, सिचांई विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गढवाल मण्डल

विकास निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में राजस्व लॉट जाखन नदी 13/2 का संयुक्त सीमांकन किया गया है। तदोपरान्त कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक संख्या 568/खनिज–अनु0/2021 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 एवं गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 के पत्रांक संख्या 393/खनन निविदा (जाखन 13/2) दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के क्रम मूं प्रश्नगत खनन लॉट का ई–रवन्ना पोर्टल पर दिनांक 29.10.2021 के खनिजों के परिवहन हेतु पंजीकरण किया गया। शिकायकर्ता के शिकायत के क्रम में मौका निरीक्षण दिनांक को मौका स्थल की स्थिति निम्नवत पायी गयीः–

1– मौका निरीक्षण दिनांक को उक्त खनन लॉट में सीमांकित क्षेत्र में खनन/चुगान कार्य वर्तमान में चुगान नीति, 2016 के मानको के अनुरूप (अनुमति गहराई 1.5 मीटर तक) तथा पीलर बन्दी क्षेत्रान्तर्गत चुगान कार्य किया जा रहा है। प्रश्नगत खनन पटटा क्षेत्र में मानव शक्ति द्वारा ही चुगान कार्य किया जा रहा है तथा उपखनिज की निकासी/परिवहन निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–11 पर ही किया जा रहा है।

2– राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पुल के 100 मीटर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में किसी भी प्रकार का खनन कार्य नहीं पाया गया है न कोई खनन से सम्बन्धी निर्मित गढढे पाये गये।

3– स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र में कोई मुर्गीफार्म नहीं पाया गया।

4– स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र में नदी के किराने कोई कृषि भूति स्थित नहीं है।

5– शमशानघाट, कृषि अनुसंधान केन्द्र, खेत का मैदान, खनन क्षेत्र में बाहर है, जिन पर कोई क्षति नहीं पायी गयी।

6– खनन हेतु आवंटित क्षेत्र में चुगान का कार्य नियमानुसार छोडा गया है।

अतः उपरोक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी डोईवाला के पत्र संख्या–281/एस0टी0/2023 दिनांक 02 मई, 2023 एवं क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई–115 नेहरू कॉलोनी देहरादून के पत्र संख्या–यूकेपीसीबी/आरओडी/एन0जी0टी0–46/2023–24/307–149 दिनांक 27.04.2023 के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(सोनिका),
जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपि– सलाहकार न्यायिक, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, फरीदकोट हाउस कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001 को मूल एप्लीकेशन संख्या 155/2023 अनिल पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
देहरादून।

(2) 11/5/23

कार्यालय उप जिलाधिकारी डोईवाला, देहरादून।

संख्या– 281 /एस0टी0/2023 दिनांक– 02 मई,2023

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–155/2023 श्री अनिल पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक–13.03.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र 600/खनिज–अनु0/2023 दिनांक 29.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम सभा माजरीग्रान्ट में निर्धारित सीमा से अधिक जाखन नदी में अवैध खनन के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

उक्त के क्रम में तहसीलदार डोईवाला की संयुक्त जांच आख्या पत्र सं0–129/ना0ना0(खनन–जांच)–2023–24 दिनांक–01.05.2023 एवं क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT-46/2023-24/307-149 दिनांक–27.04.2023 के द्वारा आपको प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति संलग्न है।

अतः आख्या महोदया की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

02/5/23

(शैलेन्द्र सिंह नेगी)
उपजिलाधिकारी
डोईवाला।

अति आवश्यक

अनुस्मारक–1

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या 600 /खनिज–अनु0/2023 दिनांक 29 अप्रैल, 2023

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
डोईवाला।

विषयः– **मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–155/2023 अनिल पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.03.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या–538/खनिज–अनु0/2023 दिनांक 10 अप्रैल, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–155/2023 अपिल पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 13.03.2023 में ग्राम सभा माजरी ग्रान्ट, विकास खण्ड डोईवाला जनपद देहरादून में निर्धारित सीमा से अधिक जाखन नदी में अवैध खनन के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण पर नियमानुसार निरीक्षण करते हुये उपचारात्मक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विभागों को संयुक्त कमेटी का गठन किया गया हैः–

1– उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2– जिलाधिकारी देहरादून।

उपरोक्त के कम में जिलाधिकारी महोदया के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण पर नियमानुसार निरीक्षण हेतु जिलाधिकारी देहरादून की ओर से आपको को नामित किया गया था तथा उक्त प्रकरण में जांच करते हुये आख्या एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था किन्तु आपके द्वारा अतिथि तक प्रकरण के सम्बन्ध में जांच आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः प्रकरण के सम्बन्ध में जांच कर जांच आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(शालिनी नेगी)
प्रभारी अधिकारी (खनन),
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1– सदस्य सचिव, मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून को पत्र संख्या–यूकेपीसीबी/एच.ओ/सा0–183–671/2023/1982 दिनांक 24.03.2023
2– क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।

प्रभारी अधिकारी (खनन),
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रेषक,

तहसीलदार
डोईवाला।

सेवा में,

उपजिलाधिकारी
डोईवाला।

संख्याः– 129 /ना0ना0(खनन–जॉच)–2023–24 दिनांकः 01 मई, 2023

विषयः– जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या नं0 155/2023 अनिल पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 13.03.2023 को पारित आदेश के कम में कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून 395/खनिज–अनु0/2023 दिनांक 23 मार्च, 2023 के संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त पत्र के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, जिला खान अधिकारी, देहरादून, राजस्व निरीक्षक, खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, जिला खान अधिकारी, देहरादून, राजस्व निरीक्षक, खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून द्वारा प्रस्तुत संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मौ0 शादाब)
तहसीलदार,
डोईवाला।

ST

01/5/23

NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT) नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या No.155/2023 अनिल पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध मे।

मा0 NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT) नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या No.155/2023 अनिल पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 13.03.2023 को पारित आदेश के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून 395/खनिज–अनु0/2023 दिनांक 23 मार्च, 2023 के द्वारा उपजिलाधिकारी डोईवाला, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून एवं जिला खान अधिकारी देहरादून को नियमानुसार संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जानें हेतु निर्देशित किया गया है।

मा0 NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT) नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या No.155/2023 अनिल पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 13.03.2023 मे पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत है :–

This original application has been registered under Section 14 & 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') on a letter petition dated 27.09.2022 received from Gram Pradhan, Gram Panchayat, Majrigrant, Development Block Doiwala, District Dehradun (State of Uttarakhand).

2. The grievance is that excessive quantity of illegal mining and minerals is taking place from river Jakhan and it is more than the prescribed limit at Gram Sabha, Majrigrant, Development Block Doiwala, District Dehradun resulting in increase of depth of river causing damage to National Highway 72, the agricultural land and other activities going on in nearby area. In support of complaint, some photographs have also been annexed with original application.

3. In our view, the grievance raised in this petition can be looked into by the local authorities, in the first instance. Hence, we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Dehradun who shall visit the site, collect relevant information and if finds any violation of environmental law and norms, would take appropriate remedial action in accordance with law within two months.

4. The nodal agency for coordination and compliance will be District Magistrate, Dehradun.

5. An action taken report may be submitted with Registrar General of this Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, Registrar General may place the matter before the Bench for further directions.

6. Subject to above directions, the application is disposed of.

7. A copy of this order along with copy of the complaint be forwarded to State PCB and District Magistrate, Dehradun by email for compliance.

मा0 NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT) नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या No.155/2023 अनिल पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 13.03.2023 को पारित आदेश एवं कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्र संख्या 395/खनिज–अनु0/2023 दिनांक 23 मार्च, 2023 के क्रम में राजस्व विभाग, खनन विभाग एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियो/अधिकारियो द्वारा प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून के पक्ष में तहसील डोईवाला के ग्राम माजरीग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत राजस्व खनन लॉट संख्या 13/2 जाखन नदी का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.03.2023 को याचीकर्ता श्री अनिल पाल की उपस्थिति में किया गया, आख्या निम्नवत है :–

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1392/VII-A-I/2021–107ख/2015 दिनांक 29 सितम्बर, 2021 के द्वारा प्रबन्ध निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून के पक्ष में तहसील डोईवाला के माजरीग्रान्ट क्षेत्रान्तर्गत जाखन नदी स्थित पुल से अपस्ट्रीम में राजस्व अभिलेखानुसार खसरा संख्या 2884, 2881, 2885, 1219, 1218, 1201, 995 व 954 मध्ये 9.428 है0 एवं पुल के डाउनस्ट्रीम में खसरा संख्या 2994, 3751, 3752, 4188ख मध्ये 7.1516 है0 कुल रकबा 16.57 है0 क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 5,46,810 टन उपखनिज के खनन/चुगान हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 की समाप्ति की तिथि दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से 05 वर्ष की अवधि हेतु कपिय शर्तो के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है। प्रबन्धक निदेशक गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 देहरादून द्वारा ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 के अन्तर्गत प्रस्तावित खनन क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति पर्यावरण एव वन मंत्रालय भारत सरकार से (Environment Clearance) के पत्र संख्या J-11015/138/2013-IA-II(M) दिनांक 03 अगस्त, 2015 द्वारा प्राप्त की गयी है तथा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 2663/मा0प्लान/उ0खनि0/देहरादून/2020–21 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रति वर्ष कुल 5,46,810 टन की उपखनिज की निकासी की अनुमति प्रदान की गयी है।

गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 74/1 राजपुर रोड देहरादून के कार्यादेश पत्रांक संख्या 392/खनन–ई–निविदा जाखन 13/2 (2021–22) दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 द्वारा तहसील डोईवाला क्षेत्रान्तर्गत राजस्व खनन लॉट संख्या 13/2 जाखन नदी

Anil Pal

पुल से अपस्ट्रीम में खसरा संख्या 2884, 2881, 2885, 1219, 1218, 1219, 1218, 1201, 995 व 954 मध्ये 9.428 है0 एवं पुल के डाउनस्ट्रीम में खसरा संख्या 2994, 3751, 3752, 4188ख मध्ये 7.1516 है0 कुल रकबा 16.57 है0 क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष वार्षिक निविदित मात्रा 546810 टन पर ई–निविदा के माध्यम से सफल बोलीदाता/उच्च बोलीदात श्री मारूति नंदन शाह हेडिग्ले स्टेट, अपर माल रोड तल्लीताल नैनीताल को आवंटित किया गया। उक्त खनन पट्टे को ई–निविदा के माध्यम से सफल बोलीदाता/उच्च बोलीदात श्री मारूति नंदन शाह हेडिग्ले स्टेट, अपर माल रोड तल्लीताल नैनीताल को आवंटित किये जाने के उपरान्त राजस्व विभाग, खनन विभाग वन विभाग, सिंचाई विभाग के अधिकारीयो/कर्मचारियों द्वारा गढवाल मण्डल विकास निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में राजस्व लॉट जाखन नदी 13/2 का संयुक्त सीमांकन किया गया है। तदोपरान्त कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून के पत्रांक संख्या 568/खनिज–अनु0/2021 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 एवं गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 के पत्रांक संख्या 393/खनन निविदा (जाखन 13/2) दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 के क्रम में प्रश्नगत खनन लॉट का ई–रवन्ना पोर्टल पर दिनांक 29.10.2021 को खनिजो के परिवहन हेतु पंजीकरण किया गया। शिकायतकर्ता के शिकायत के क्रम मे मौका निरीक्षण दिनांक को मौका स्थल की स्थिति निम्नवत पायी गयी :–

1. मौका निरीक्षण दिनांक को उक्त खनन लॉट में सीमांकित क्षेत्र में खनन/चुगान कार्य वर्तमान में प्रचलित चुगान नीति–2016 के मानको के अनुरूप (अनुमित गहराई 1.5 मीटर तक) तथा पीलर बन्दी क्षेत्रान्तर्गत चुगान कार्य किया जा रहा है। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में मानव शक्ति द्वारा ही चुगान कार्य किया जा रहा है तथा उपखनिज की निकासी/परिवहन निर्धारित प्रपत्र एम0एम0–11 पर ही किया जा रहा है।
2. राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पुल के 100 मीटर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में किसी भी प्रकार का खनन कार्य नही पाया गया है न कोई खनन से सम्बन्धी निर्मित गढढे पाये गये।
3. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में कोई मुर्गीफार्म नही पाया गया।
4. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के नदी के किनारे कोई कृषि भूमि स्थित नही है।
5. शमशानघाट, कृषि अनुसंधान केन्द्र, खेल का मैदान, खनन क्षेत्र में बाहर है, जिन पर कोई क्षति नही पायी गयी।
6. खनन हेतु आवंटित क्षेत्र में चुगान का कार्य नियमानुसार छोडा गया है।

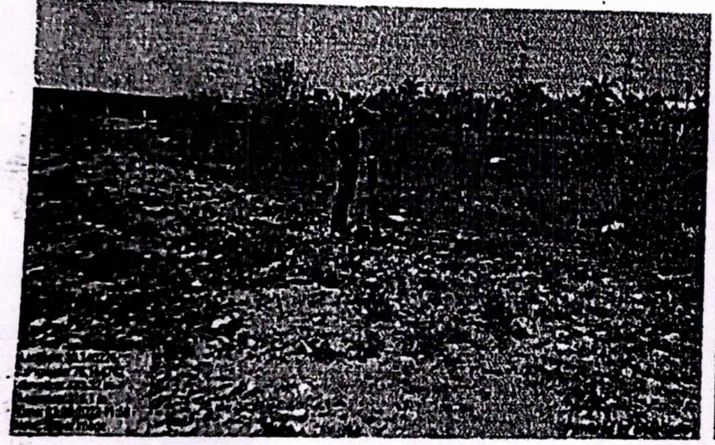

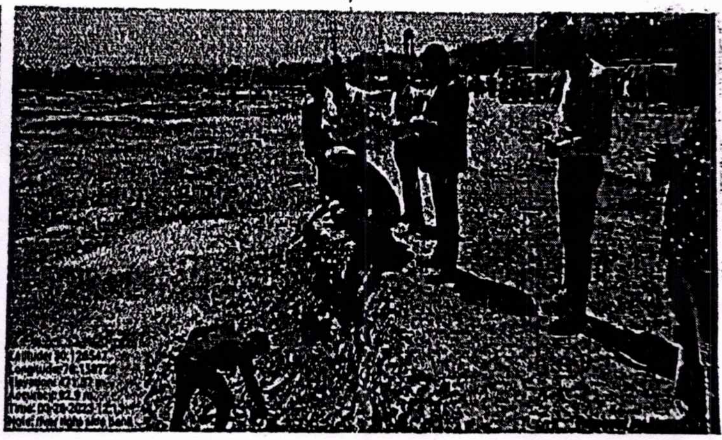

अतः उपरोक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित

खनिज मोहर्रिर
तहसील डोईवाला।

राजस्व निरीक्षक
डोईवाला।

खान निरीक्षक
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
देहरादून।

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड
देहरादून।

तहसीलदार
डोईवाला।

प्रभारी जिला खान अधिकारी/खान निरीक्षक
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
देहरादून।